<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>22.10.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली आंचलिक कार्यालय-II ने शांति स्वरूप सतीजा व अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 1.66 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कुर्की दिनांक 21.10.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) संख्या 24/2026 के माध्यम से की गई है, जो अपराध की आय के समतुल्य मूल्य के रूप में पहचान की गई मेसर्स श्री गणेशम बिल्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा उसके निदेशक अनिल कुमार शर्मा को हस्तांतरित और उनके द्वारा धारित राशि का प्रतिनिधित्व करती है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में मेसर्स श्री गणेशम बिल्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अनिल कुमार शर्मा के नाम पर पंजीकृत ग्राम धानी गैस्कन, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित भूमि शामिल है।

ईडी ने अपनी जांच दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 और 120 बी के तहत दर्ज दस एफआईआर और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जांच के आधार पर शुरू की। जांच उन आरोपों से संबंधित है कि शांति स्वरूप सतीजा ने मेसर्स संपत्ति ट्रेडिंग एंड डेवलपर्स लिमिटेड और मेसर्स संपत्ति डेवलपर्स के ज़रिए निवेशकों को हर महीने 2–3% का पक्का रिटर्न देने का वादा करके अलग-अलग निवेश योजनाओं और भूमि परियोजनाओं में निवेश करने के लिए उकसाया। जांच के अनुसार, शुरुआत में कुछ निवेशकों को रिटर्न दिया गया; लेकिन, बाद में भुगतान बंद हो गया, और कई निवेशकों को मूल रकम वापस नहीं की गई।

ईडी की जांच से पता चला है कि शांति स्वरूप सतीजा के नियंत्रण वाली इकाइयों से प्राप्त धनराशि को, राजस्थान में जमीन खरीदने के लिए मेसर्स श्री गणेशम बिल्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अनिल कुमार शर्मा को हस्तांतरित किया गया था। आगे की जांच से यह भी पता चला कि 1.66 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय उक्त कंपनी और उसके निदेशक को ट्रांसफर की गई थी तथा चूंकि अपराध की मूल आय समाप्त हो चुकी थी, इसलिए पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अपराध से अर्जित आय के मूल्य को सुरक्षित करने के लिए उसके समतुल्य मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।